

अनुबंध-I

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय
फोर्ट
मुंबई-400 001.

पंजीकरण सं.

महोदय

_____ करोड़ रु की कुल राशि के " _____ वर्ष के नए
सरकारी स्टॉक " के लिए निविदा - दिनांक _____
को आयोजित की जाने वाली नीलामी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक _____ की अधिसूचना सं. _____ तथा आपके द्वारा जारी निविदा नोटिस के अनुसरण में मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, नीचे दर्शाए अनुसार उपर्युक्त तारीख को आपके द्वारा आयोजित की जाने वाली नीलामी में " _____ वर्ष के नए सरकारी स्टॉक" की खरीद का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं ।

i)	संघटक का नाम \$\$	
ii)	पता	
iii)	एसजीएल कोड, यदि कोई हो	
iv)	दूरभाष सं.	
v)	अपेक्षित सरकारी स्टॉक का सांकेतिक मूल्य	
vi)	उस पर प्रतिवर्ष अर्जित प्रतिफल के प्रतिशत की अपेक्षा (दो दशमलव बिंदु तक लिखें)	
vii)	स्थान, जहाँ ब्याज का भुगतान किया जाए	

वचन पत्र

1. आपके द्वारा मेरी/हमारी बोली स्वीकार किए जाने पर
 - i) मैं सहमत हूँ/हम सहमत हैं/वचन देता हूँ/वचन देते हैं कि आपके कार्यालय से स्वीकृति पत्र तत्काल प्राप्त कर लेंगे तथा अपेक्षित राशि भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई में उसमें निर्दिष्ट दिन/समय पर जमा कर दी जाएगी ।
 - ii) मैं/हम आपको प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं कि अपेक्षित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुरक्षित मेरे/हमारे चालू खाते में नामे डालें ।

**
2. मैंने/हमने उक्त तारीख को होने वाली नीलामी की शर्तों को पढ़ लिया है तथा मैं/हम उनका पालन करूंगा/करेंगे ।
3. मैंने/हमने उक्त तारीख को होने वाली नीलामी के लिए एक और बोली (बोलियाँ) प्रस्तुत की हैं/और कोई बोली (बोलियाँ) प्रस्तुत नहीं की है (जो आवश्यक न हो, उसे काट दें ।

भवदीय

दिनांक : _____

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर
तथा कार्यालय की स्टाम्प

\$\$ यदि आवेदन संघटक की ओर से है तो संघटक का नाम दें ।

** जो लागू नहीं है, उसे काट दें ।

टिप्पणी

1. यदि आवेदक का हस्ताक्षर अगूठे के निशान द्वारा किया गया है तो इसे दो व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए । गवाहों के हस्ताक्षर के सामने उनका पूरा नाम, पेशा और पते का उल्लेख किया जाए ।
2. आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम में किए जाने पर निम्नलिखित दस्तावेज़ यदि पहले से लोक ऋण कार्यालय में पंजीकृत नहीं हों तो निवेश राशि के साथ लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत किए जाए :-
 - (i) निगमन/पंजीयन प्रमाणपत्र मूल रूप में अथवा उसकी एक प्रतिलिपि जो उसे जारी करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अपनी कार्यालय मुहर के साथ सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो ।

- (ii) कंपनी/निकाय की नियमावली और विनियमावली/उपविधियों के बर्हिनियम और अंतर्नियमों की प्रमाणित प्रतियाँ ।
 - (iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के विधिवत साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ उनके पक्ष में संकल्प की प्रमाणित प्रति ।
3. आवेदक को उन्हें जारी किए गए स्टॉक प्रमाणपत्र/पत्रों पर छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए (लोक ऋण कार्यालय से प्राप्त) एक अधिदेश फार्म भरना चाहिए ।

शर्तें

1. सरकारी स्टॉक दस हजार रु की न्यूनतम राशि (अंकित मूल्य) तथा उसके गुणजों में ही जारी किया जाएगा ।
2. प्रत्येक बोली के लिए पृथक निविदा फार्म भरा जाना चाहिए ।
3. नीलामी के परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई में प्रदर्शित किए जाएंगे ।
4. भारतीय रिजर्व बैंक को, ऐसा उचित समझे जाने पर, बिना कोई कारण बताए, किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा विवेकाधिकार होगा ।
5. निविदाकर्ता को नीलामी के परिणामों की जाँच स्वयं करनी होगी तथा सफल होने पर भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई से निविदा स्वीकार किए जाने के संबंध में पत्र स्वयं प्राप्त करना होगा ।
6. स्वीकृत निविदाओं के मामले में, नीलामी में होने वाले "कट ऑफ" प्रतिफल के लिए सांकेतिक आवेदित राशि के लिए सरकारी स्टॉक जारी किया जाएगा ।
7. भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुरक्षित चालू खाते में नामे डालकर अथवा मुंबई में देय बैंकर भुगतान आदेश अथवा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई में नकद रूप से अथवा उस पर देय चेक द्वारा किया जाना चाहिए तथा अपेक्षित राशि दिनांक _____ को बैंकिंग घंटों की समाप्ति तक जमा कर दी जानी चाहिए ।
8. पार्टियों को सरकारी स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनके एसजीएल खाते में जमा करके तथा अन्य पार्टियों को स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया जाएगा ।